



बैंकों के सकल NPA में 3.2% की गिरावट

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

रज़िर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, **अनुसूचि वाणजियिक बैंकों (SCB)** के लिये **सकल गैर-नषिपादति परसिंपत्त (GNPA)** अनुपात में महत्त्वपूर्ण गिरावट देखी गई, जो मार्च 2023 के अंत में **3.9%** से गरिकर **सितंबर, 2023 के अंत तक 3.2%** हो गई।

- योगदान देने वाले कारक: बट्टे खाते में डालना, उन्नयन, और वसूली।

गैर-नषिपादति परसिंपत्त क्या है?

■ परिचय:

- **RBI** के अनुसार, कोई परसिंपत्त तब गैर-नषिपादति हो जाती है जब वह बैंक के लिये आय उत्पन्न करना बंद कर देती है।
- NPA आमतौर पर एक ऋण या अग्रमि होता है जिसका **मूलधन या ब्याज** भुगतान एक नशिचति अवधि के लिये अतदिय रहता है।
 - ज़्यादातर मामलों में **ऋण को गैर-नषिपादति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है**, जब ऋण का भुगतान **न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये** नहीं किया गया हो।
 - कृषा के लिये यदा **2 शस्य ऋतुओं/फसली मौसमों** के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

■ प्रकार:

- बैंकों को उस अवधि के आधार पर NPA को नमिनलखिति तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करना आवश्यक है जिसके लिये परसिंपत्त गैर-नषिपादति रही है और बकाया की वसूली:
 - **अवमानक परसिंपत्त:** एक अवमानक संपत्त 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिये NPA के रूप में वर्गीकृत परसिंपत्त है।
 - **संदगिध परसिंपत्त:** संदगिध परसिंपत्त वह संपत्त है जो 12 महीने से अधिक की अवधि से गैर-नषिपादति चल रही हो।
 - **हानि वाली परसिंपत्तियाँ:** ऐसी परसिंपत्तियाँ जो संग्रहण योग्य नहीं हैं और जनिकी वसूली की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है, साथ ही जनिहें पूरी तरह से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।

■ सकल NPA (GNPA) और नविल NPA:

- यह **अनंतमि राशा में कटौती किये बिना** NPA की कुल राशा है।
- **नविल NPA:** सकल NPA में से **प्रावधान घटाने पर** नविल NPA प्राप्त होता है।
 - प्रावधान का तात्पर्य ऋणों अथवा NPAs से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखे गए धन से है।

■ भारत में NPA से निपटने के प्रावधान:

- **बैंकों और वतित्तीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधनियम (RDB अधनियम), 1993:** इसके तहत बैंकों और वतित्तीय संस्थानों पर शोधय ऋणों पर त्वरति नरिणय लेने तथा उन्हें पुनर्रप्राप्त करने के लिये **ऋण वसूली अधकिरण (DRT)** तथा **ऋण वसूली अपीलीय अधकिरण (DRAT)** की स्थापना की गई।
- **वतित्तीय आसतियों के प्रतभूतिकरण और पुनर्रनिमाण और प्रतभूति हति का प्रवरतन अधनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act- SARFAESI अधनियम), 2002:** बैंकों तथा वतित्तीय संस्थाओं को नयायालय के हस्तक्षेप के बिना डिफॉल्ट उधारकर्त्ताओं की **सुरक्षति परसिंपत्तियों को कब्जे में लेने और उसकी बकिरी करने का अधिकार** देता है।
- **दवाला और शोधन अक्षमता संहति (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016:** यह NPA सहति तनावग्रस्त परसिंपत्तियों के लिये एक **फास्ट-ट्रैक कॉर्पोरेट दवाला समाधान प्रक्रिया** प्रदान करता है।
 - IBC ने अपनी स्थापना के बाद से **808 मामलों में फैसे 3.16 लाख करोड़ रुपए** के ऋण को सुलझाने में मदद की है।

- **लोन राइट-ऑफ:** बट्टे खाते में डालना/अपलखिति करना (Write-off) का तात्पर्य कसिी गैर-नषिपादति ऋण अथवा परसिंपत्त को बैंक के **रिकॉर्ड से** इस स्वीकृति के रूप में **हटाना** है कि ऋण की वसूली की संभावना नहीं है।

- यह कार्रवाई उधारकर्त्ता को चुकाने के दायित्व से मुक्त नहीं करती बलक वसूली की संभावना को स्वीकार करती है।

- **उन्नयन (Upgrades):** यह एक ऋण खाते को NPA से वापस **"मानक"** परसिंपत्त श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को संदर्भित

करता है, यदकिछु शरतें पूरी होती हैं, जनिमें शामिल हैं: ब्याज और मूलधन का बकाया उधारकर्त्ता द्वारा भुगतान कया जाता है।

- **पुनर्प्राप्ति (Recoveries):** पुनर्प्राप्ति, डफिॉल्ट ऋणों या NPA पर इसके लयि कार्रवाई करने के बाद बैंक द्वारा प्राप्त धन या संपत्ति का प्रतनिधित्व करती है।
 - ये पुनर्प्राप्ति विधियों, संपारश्वकि परसिमापन (collateral liquidation), या पुनर्भुगतान (repayments) के बाद नपिटान का रूप ले सकती हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परसिमपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरगि ऑफ स्ट्रेचड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है?

- (a) यह सरकार द्वारा नरूपित वकिसपरक योजनाओं की पारसिथतिकि कीमतों पर वचिर करने की पद्धति है।
- (b) यह वास्तवकि कठनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वत्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लयि भारतीय रजिर्व बैंक की स्कीम है।
- (c) यह केन्द्रीय सार्वजनकि क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की वनिविश योजना है।
- (d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रयिान्वति 'इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्टसी कोड' का एक महत्त्वपूर्ण उपबंध है।

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/banks-gross-npas-drop-to-3-2->

